## Order Sheet [Contd] Case No 256/2017 बी.ए

	Case NO 250/	2017 41.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17.07.2017	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपीगण अभिरक्षा से प्रेश। सहित श्री जी०एस० गुर्जर, के०पी०राठौर एवं श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्तागण। पुलिस थाना मौ जिला मिण्ड से अप०क० ४०/१७ अंतर्गत धारा ३०२, २०१, ३४ भा.द.िव की केश खायरी प्रतिवेदन सहित पेश। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त मोनू की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर प्रथम नैयमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक /अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है उसे साजिश कर झूठा फलाया गया है और आवेदक दिनांक २६.०२.२०१७ से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक के माता पिता वृद्ध है और उसके हिरासत में होने से परिवार के सामने आर्थिक तंगी का संकट आ गया है। आवेदक के कृत्य के संबंध में अभिलेख पर कोई साहय नहीं है। प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगे। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संवध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदनपत्र निरस्त कसमे द्वारा कार उपलब्ध कराई गई है। वहघटना में शामिल नहीं रहा है, लम्बे समय से अमिरक्षा में है। इन्हीं आधारों पर जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण में आरोपी मोनू के द्वारा हत्या की घटना में प्रयुक्त कार कमाक एस.पी. 32 सीत्र 1681 को उपलब्ध कराने शेष आरोपीगण के साथ पढ़यंत्र में संलगन दमाए पर, है और पड़यंत्र के अग्रसरण में उक्त से मृतिका को सूनसान जगह पर ले जाकर उसे पकड़कर मारूती से टक्कर मारूकर हत्या करने का गंभीर आरोप है। प्रकरण में आरोपी पर लगाए गए अपराध की गंभीरता एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक /अभियुक्त को जमानत का लाम दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। केश डायरी बापस हो। प्रकरण द्रायल प्रोग्ना प्रस्तुत हेतु दिनांक २५००७२००० मोहद	AT AND A SECOND